उपायुक्त का कार्यालय, हजारीबाग

प्रपत्र VI

समाहर्त्ता या समुचित सरकार
प्रारंभिक अधिसूचना
(अधिनियम–30/2013 की धारा–11 (1) के अधीन)

चुकि झारखण्ड सरकार/समाहर्त्ता को यह प्रतीत होता है कि ग्राम–गोतिया, थाना–पदमा, थाना–सं0–15, अंचल–पदमा, जिला–हजारीबाग में भूमि सार्वजनिक प्रयोजन, यथा परियोजना हजारीबाग के गौरिया–करमा–केवटा पुल(सरैया) पथ का चौड़ीकरण/मजबूतीकरण का निर्माण हेतु अपेक्षित है, इसलिए राज्य एस0 आई0 ए0 ईकाई द्वारा सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन कराया गया और एक प्रतिवेदन सौपा गया। सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन का सार–संक्षेप यथा निम्न हैः

परियोजना लोक हित में होने के कारण अतिमहत्वपूर्ण है अर्जनाधीन भूमि न्यूनतम् है, आवागमण की सुगम्यता तथा अनुयोजकता बढेंगी, बेहतर स्वास्थ्य शिक्षा, बाजार में विपणन की संभावना, आधार भूत संरचना एवं कानून व्यवस्था की स्थिति सुदृढ होगा। भू–अर्जन के कारण विस्थापित परिवारों की सं0 शुन्य है। प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजनार्थ अपर समाहर्त्ता अथवा नियम 2(1) (ख) के तहत नियुक्त पदाधिकारी को प्रशासक के रुप में नियुक्त किए गए है। अतएव अधिसूचित किया जाता है कि ग्राम–गोतिया, थाना–पदमा, थाना–सं0–15, अंचल–पदमा, जिला–हजारीबाग में उपर्युक्त कथित परियोजना के कमोवेश **0.02** एकड़ यानि **0.0080** हेक्टेयर मानक माप का भूखंड, जिसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित है, अर्जनाधीन है जो निम्नवत हैः–

क0 सं0	खाता संख्या	सर्वे प्लॉट सं0	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (एकड़)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (भूखंड सं0)			
							उ0	द0	पू0	प0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	321	2314 अंश	निजि	टांड–III	0.003	दुखी महतो पिता सोहन महतो ग्राम– गोतिया	प्लौट सं0 2295	प्लौट सं0 2315	प्लौट सं0 2314	सड़क
2	321	2315 अंश	निजि	टांड–III	0.002	दुखी महतो पिता सोहन महतो ग्राम– गोतिया	प्लौट सं0 2314	प्लौट सं0 2316	प्लौट सं0 2315	सड़क
3	321	2316 अंश	निजि	टांड–III	0.001	रूपचन्द महतो पिता कलो महतो ग्राम गोतिया	प्लौट सं0 2315	प्लौट सं0 2317	प्लौट सं0 2316	सड़क
4	321	2317 अंश	निजि	टांड–III	0.002	रूपचन्द महतो पिता कलो महतो ग्राम गोतिया	प्लौट सं0 2316	प्लौट सं0 2318	प्लौट सं0 2314	सड़क
5	321	2318 अंश	निजि		0.004	नागेश्वर महतो पिता कलाकी महतो ग्राम गोतिया	प्लौट सं0 2317	प्लौट सं0 2319	प्लौट सं0 2318	सड़क

6	321	2319 अंश	निजि		0.004	रामेश्वर महतो पिता तालो महतो ग्राम गोतिया	प्लौट सं0 2318	प्लौट सं0 2320	प्लौट सं0 2319	सड़क
7	194	2320 अंश	निजि		0.002	गोविन्द महतो पिता खेदन महतो ग्राम गोतिया	प्लौट सं0 2319	प्लौट सं0 2321	प्लौट सं0 2320	सड़क
8	196	2321 अंश	निजि		0.002	टुकन महतो पिता तीलक महतो ग्राम गोतिया	प्लौट सं0 2320	प्लौट सं0 2295	प्लौट सं0 2321	सड़क
कुल अर्जित रैयती रकबा (एकड में)					**0.02**					

यह अधिसूचना भू–अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (अधिनियम संख्या 30/2013) की धारा–11 (1) के उपबंधो के अधीन सभी संबंधित व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है।

भूमि की योजना का निरीक्षण जिल भू–अर्जन पदाधिकारी, हजारीबाग के कार्यालय में किसी कार्य दिवस को कार्यावधि में किया जा सकेगा। झारखण्ड सरकार/समाहर्त्ता–सह–समुचित सरकार उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथाउपबंधित एवं यथाविनिर्दिष्ट कार्यो के समुचित निष्पादन हेतू अपेक्षित किसी भूमि का सर्वेक्षण एवं उसकी प्रविष्टि करने, किसी भूमि के किसी स्तर को मापने के लिए अवभूमि खोदने या भू–वेधन–छिद्र करने सहित सभी अन्य कार्यो के संचालन करने हेतु जिला भू अर्जन पदाधिकारी, हजारीबाग और उनके कर्मचारी को प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई व्यक्ति जिला समाहर्त्ता के पूर्विक अनुमोदन के बिना इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रारभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई अंतरण यथा क्रय/विक्रय नहीं करेगा या ऐसा कोई अंतरण नहीं करवाएगा या ऐसी भूमि पर कोई अवभार नहीं उत्पन्न करेगा। अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथाउपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से साठ (60 दिनों) के अंतर्गत भू अर्जन की बाबत किसी प्रकार की आपतियां हितबद्ध व्यक्ति द्वारा जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, हजारीबाग के समक्ष दर्ज की जा सकेगी।

उपायुक्त,
हजारीबाग।